दिनाक 08.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–08 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आजमगढ़/थाना मेहनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, चोरी की 01 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.02.2021 को थाना मेहनगर व थाना बरदह की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान करौती पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी संदीप शर्मा घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी विवेक कुमार उर्फ मिन्टू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, हत्या, हत्या प्रयास, आर्म्स एक्ट एवं गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–396/2020 धारा 3(1) यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मेहनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u> :—

विवेक कुमार उर्फ मिन्टू निवासी ग्राम हुसेपुर (रामजीयावनपुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>—:

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल,

2—01 अवैध पिस्टल .32बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

<u>पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर /थाना बीटा—2</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **हत्या/लूट की घटना का अनावरण,**
- **लूट के 13 हजार रूपये नगद,**
- **सोने, चॉदी के आभूषण,**
- **02 पासबुक, 01 चेकबुक,**
- **04 एफडी,**
- **02 डिपोजिट कनफर्मेशन,**
- **01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.02.2021 को थाना बीटा—2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नवादा के पास अभियुक्त 1—देव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी जानकारी के आधार पर गोलचक्कर पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—बिशन सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 13 हजार रूपये नगद, 02 पासबुक, 01 चेकबुक, 04 एफडी, 02 डिपोजिट कनफर्मेशन, सोने, चॉदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा

315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 4/5.02.2021 को गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा लूट के उद्देश्य से दोहरी हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद माल उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–देव निवासी सिलौली पोस्ट बघोरा सिलौली भिंड बघोरा मध्य प्रदेश।

2–बिशन सिंह निवासी चैमुह थाना अटेर जनपद भिंड म0प्र0 वर्तमान पता सैनिक कालोनी पिन्टू पार्क, दिलीप सिंह घोरेया के किराये के मकान थाना गोले का मंदिर जिला ग्वालियर।

बरामदगी :–

1–लूट के 13 हजार रूपये नगद, 02 पासबुक,

2–सोने, चॉदी के आभूषण,

3–01 चेकबुक,

4–04 एफडी,

5–02डिपोजिटकनफर्मेशन,

6–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि ।

जनपद प्रयागराज/थाना नैनी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 ब्रीजा कार**
- **चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले टूल बाक्स आदि बरामद**

दिनांक 08—02—2021 को थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीपीएस रोड़ के पास चेकिंग के दौरान ब्रीजा कार सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजन घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया, तथा अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, चोरी की 01 ब्रीजा कार, चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले टूल बाक्स आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रंजन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना नैनी व थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त जनपद प्रयागराज से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजन निवासी तिलमापुर थाना करहागर जनपद रोहतास विहार।

<u>बरामदगी</u>

1– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस

2– चोरी की 01 ब्रीजा कार

3– चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले टूल बाक्स आदि ।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर</u>

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 2 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम**
- **1450 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 07–02–2021 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिग के दौरान चीनी मिल्स ग्राउण्ड से पहले सड़क पर किसान युनियन कार्यालय के सामने से 03 मादक पदार्थ तस्कर 1– आरिफ, 2–इकरार, 3– धर्मेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 2 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम 1450 रूपये नगद बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– आरिफ निवासी एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जनपद बरेली।

2– इकरार हुसैन निवासी एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जनपद बरेली।

3– धर्मेन्द्र कुमार निवासी मंडोरा थाना अलीगंज जनपद बरेली

<u>बरामदगी</u>

1– लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 2 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम आदि।

जनपद नोएडा/थाना सेक्टर–49

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 62 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 07–02–2021 को थाना सेक्टर–49 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से मदाक पदार्थ तस्कर सिराजुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 62 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–49 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सिराजुल निवासी बेहटागुडी थाना दिनहटा जनपद कुच बिहार पश्चिम बंगाल हालपता कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।

बरामदगी

1– लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की 62 किलोग्राम अवैध गांजा आदि।

जनपद बदायूं (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 19 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी नजमुल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 19 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 29 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 29 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद सहारनपुर/ थाना बड़गॉव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बडगॉव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376डी/506 भादवि में अभियुक्त 1–अनिल उर्फ छोटू 2–अनुज प्रताप को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0–अवैध शराब बनाने के लिए लायी जा रही 30,000 लीटर अवैध इ0एन0ए0 एल्कोहल (अनुमानित कीमत लगभग रू0 30 लाख) बरामद, 08 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

आज दिनॉक 08.02.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध शराब बनाने के लिए लायी जा रही 30,000 लीटर अवैध इ0एन0ए0 एल्कोहल जिसकी तीव्रता 68.2 प्रति”ात (अनुमानित कीमत लगभग रू0 30 लाख) बरामद कर 08 अभियुक्त को जनपद मुरादाबाद से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः</u>

1. संजय सिंह पुत्र श्री नन्हू सिंह, निवासी खास भगतपुर, मुरादाबाद।
2. बन्टी सैनी पुत्र श्री रामचरन सैनी, निवासी बलदेवपुरी, बसंत बिहार कटघर, मुरादाबाद।

3. मनवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी महदपुर गुज्जर, हसनपुर, अमरोहा ।
4. प्रेम सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, निवासी पटटी शेरपुर, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
5. गुरूदेव सिंह पुत्र श्री सरदार तरसेन सिंह, निवासी बौसेरा पन्वा सरहाली तरनतारन पंजाब।
6. मनजीत पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी फतेहचक, शहर तरनतारन, पंजाब।
7. रमेश सैनी पुत्र श्री शोभा राम सैनी, निवासी अगवानपुर स्टे"ान के पास, सिविल लाईन्स मुरादाबाद।
8. अमर सिंह पुत्र श्री राम कुवॅर निवासी अगवानपुर स्टे"ान के पास, सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

बरामदगीः—

1— 30 हजार लीटर (ई0एन0ए0) एल्कोहल

2— 05 जरी कैन भरी हुई जिसमें (ई0एन0ए0) एल्कोहल 200 लीटर

3— 01 अदद टैंकर नम्बर—पी0वी0.11वी0एन0.4902

4— 01 अदद मारूति स्विफ्ट कार नम्बर—यू0पी021.वी.4454

5— 01 अदद मोटरसाईकिल प्लेटिना नम्बर—यू0पी021.ए0सी0.6276

6— 01 अदद मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेन्डर बिना नम्बर की।

7— रूपये 49,317/— नकद।

8— 06 अदद मोबाईल फोन।

9— 01 प्लालिस्ट का पाईप नोजिल लगा हुआ जो (ई0एन0ए0) एल्कोहल निकालने के काम आता है।

गिरफ्तारी का स्थानः—

कॉठ रोड अगवानपुर ढ़ाबे के पास थाना—सिविल लाईन मुरादाबाद।

विगत कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी, कि जनपद रामपुर, मुरादाबाद व आस पास के जनपदों में अवैध शराब बनाने वाले गिरोहो द्वारा बिहार, हरियाणा व अन्य राज्यों से (ई0एन0ए0) एल्कोहल को लाने वाले टैंकरों के चालकों से अवैध रूप से शराब बनाने वाले लोग सम्पर्क वना लेते है और रोड के किनारे बने ढ़ाबों के संचालकों के माध्यम से टैंकरों से (ई0एन0ए0) एल्कोहल को उतारकर शराब बनाई जाती है। इन गिरोहों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न ईकाईयों/टीमों को अभिसूचना एवं कार्यवाही हेतु निर्देिशत किया गया था। इसी क्रम में बरेली यूनिट प्रभारी निरीक्षक श्री अजय पाल सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि बिहार डिस्ट्रिलरी बौटलर्स प्राईवेट लिमिटेड वर्क्स जिला भोजपुर बिहार से आजाद टैंकर कम्पनी के व्हीकल नम्बर–पी0वी011 वी0एन0 4902 से (ई0एन0ए0) एल्कोहल की सप्लाई भेजी जायेगी, जो रास्ते में जगह–जगह सप्लाई करते हुए जायेगें। इस सूचना को जनपद मुरादाबाद पुलिस से साझा करते हुये मुखबिर के बताये स्थान ढ़ाबा अगवानपुर के पास समय रात्रि करीब 02.15 बजे टैंकर से (ई0एन0ए0) एल्कोहल को उतारते समय और अपनी स्विफ्ट गाड़ी में (ई0एन0ए0) एल्कोहल को लादते समय उपरोक्त 08 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछॅताछ पर उपरोक्त अभियुक्तों ने बताया कि इससे पूर्व भी इस टैंकर से व अन्य टैंकरों से हम लोग कई बार (ई0एन0ए0) एल्कोहल उतार चुके है। जिसे हम अवैध शराब बनाने के काम में लेते है। जिसमें रंग आदि मिलाकर नकली शराब बनाकर उसे उसे असली शराब के रूप में ठेको पर बेच देते है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिविल लाईन मुरादाबाद में मु0अ0सं0 119/2021 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

––––––